भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3253
21 मार्च, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों के मध्य कौशल विकास

3253. श्री रामशिरोमणि वर्मा:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में किसानों के बीच कौशल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि निर्धारित और व्यय की गई है; और

(ग) किसानों के क्षमता निर्माण में वृद्धि करने के लिए प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): सरकार ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में किसानों में कौशल विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाएं शुरू की हैं और इन्हें कार्यान्वित कर रही हैं।

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) योजना के रूप में लोकप्रिय 'विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता' पर एक केंद्र प्रायोजित योजना वर्ष 2005 से कार्यान्वित की जा रही है। इसे देश के 28 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों के 704 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना विस्तार प्रणाली को पुनर्जीवित करने और किसानों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों और बेहतर कृषि पद्धतियों को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को सहायता देने के उद्देश्य से देश में विकेंद्रीकृत किसान-अनुकूल प्रणाली को बढ़ावा देती है। आत्मा के तहत विस्तार गतिविधियों में किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन, एक्सपोजर विजिट, किसान मेला, किसान समूहों को एकजुट करना और फार्म स्कूलों का आयोजन आदि शामिल है।

जुलाई, 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के बाद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थानों, आईसीएआर के कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से भारतीय कृषि कौशल परिषद द्वारा विकसित अनुमोदित अर्हता प्राप्त पैक के अनुसार ग्रामीण युवाओं और किसानों के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीएम) के तहत कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (न्यूनतम 200 घंटे) संचालित कर रहा है।

ग्रामीण युवा कौशल प्रशिक्षण (एसटीआरवाई) वर्ष 2015 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं और किसानों के ज्ञान और कौशल के उन्नयन के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी/स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कृषि में अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण (स्थानीय यात्रा के लिए 1 दिन सहित 7 दिन की अवधि) प्रदान करना था। राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थानों

(एसएएमईटीआई), आत्मा और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से देश भर में एसटीआरवाई को कार्यान्वित कर रहा है।

उपर्युक्त के अलावा, सरकार किसानों के प्रशिक्षण के आयोजन के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसके अलावा कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन के तहत 'प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण का संवर्धन और सुदृढ़ीकरण' नामक एक घटक रखा गया है और कृषि यंत्रीकरण के विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया है जिससे उन्हें कुशल संचालन के लिए अपने कौशल स्तर में सुधार करने में मदद मिली है जिसके द्वारा संचालन की लागत में बचत हुई है। आरकेवीवाई-रफ्तार के तहत किसानों के प्रशिक्षण को भी बढ़ावा दिया जाता है।

उपर्युक्त आत्मा और ग्रामीण युवाओं के कौशल प्रशिक्षण (एसटीआरवाई) योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निर्धारित धनराशि के साथ-साथ खर्च की गई राशि **अनुबंध I और II** के रूप में दी गई है।

लो.स.अता.प्र.सं. 3253
अनुबंध-I

वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान विस्तार सुधारों (आत्मा) योजना के प्रशिक्षण घटक के तहत निर्धारित और खर्च की गई धनराशि।

वर्ष	**वित्तीय प्रगति (रुपये करोड़ में)**	
	निर्धारित	**खर्च किए गए**
2019-20	214.49	208.00
2020-21	320.70	243.70
2021-22	361.07	232.08
2022-23*	255.59	137.77
कुल	**1151.85**	**821.55**

*15 मार्च, 2023 तक

लो.स.अता.प्र.सं. 3253
अनुबंध-II

वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान लघु अवधि (7 दिन) ग्रामीण युवाओं के कौशल प्रशिक्षण (एसटीआरवाई) के तहत निर्धारित और खर्च की गई धनराशि।

वर्ष	**वित्तीय प्रगति (रुपये करोड़ में)**	
	निर्धारित	**खर्च किए गए**
2019-20	2.56	2.56
2020-21	2.75	1.79
2021-22	3.04	2.54
2022-23*	2.60	2.60
कुल	**10.95**	**9.49**

*15 मार्च, 2023 तक

****